न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/476

सम्पत सिंह आत्मज श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवीस ग्राम बडा खेडा इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश कुमार आत्मज श्री फूंदी लाल जाति खटीक निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. सचिव, ग्राम पंचायत बडा खडा तहसील, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।
5. लेखराज सिंह आत्मज श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट एवं वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 05 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में खाता संख्या नया 534 में खसरा नम्बर 980 रकबा 1.85 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि वादीगण ने दिनांक 04 अप्रेल, 1981 को किशन सिंह आत्मज श्री जोधसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी तथा क्रय करने के उपरान्त वादीगण ने उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तब से आज दिन तक वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रतिवादी क्रम 1

जबरन ताकत के बल पर वादीगण की भूमि के करीब 1400 वर्गफीट पर कब्जा कर मकान का निर्माण करना चाहते हैं । पूर्व में प्रतिवादी कम 1 द्वारा करीब 05 माह पूर्व वादीगण की कृषि भूमि पर अतिमक्रण करने का प्रयास किया था तब वादीगण ने पुलिस इमदाद लेकर प्रतिवादी के मंसूबों पर पानी फेर दिया । अब पुनः प्रतिवादी जबरन ताकत के बल पर वादीगण की भूमि पर कब्जा कर सकते हैं । यदि भूलवश ग्राम पंचायत बडाखेडा द्वारा उक्त भूमि पर पट्टा जारी किया गया तो उसे तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा निरस्त करना भी वादीगण की जानकारी में आया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से में प्रतिवादी कम 1 किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कर कोई निर्माण न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे इस बाबत् प्रतिवादी कम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादी कम 1 अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है और वादीगण के स्वामित्व एंव कब्जे की कृषि भूमि पर निर्माण कार्य कर लेता है तो उसे प्रतिवादी कम 01 के खर्चे पर हटाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. प्रतिवादी ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ग्राम पंचायत बाडाखेडा को पक्षकार बनाया है । ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 02 माह का नोटिस दिया जाना आदेशात्मक प्रावधान है । नोटिस के अभाव में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद चलने योगय नहीं है । वादीगण की ओर से कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की है । राजस्थान पंचायत की धारा 109 के तहत उक्त वाद कानूनी रूप से सुने जाने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी कम 1 सम्पत सिंह ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट एवं वादी रेस्पोडेन्ट कम 05 लेखराज सिंह के शामलाती खाते की है । राजस्व रिकॉर्ड में भी वादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 05 उक्त भूमि के सहकृषक दर्ज हैं । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है और न ही उनका कब्जा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 ने वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर गैर कानूनी एवं अनाधिकृत रूप से निर्माण करने को तत्पर है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है । प्रतिवादी कम 2 से 4 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है । प्रतिवादी कम 02 लगायत 4 उक्त भूमि में औचारिक तकमीली पक्षकार हैं उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 109 राजस्थान पचांयती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत

रेस्पोडेन्ट कम 2 से 4 को नोटिस नहीं देने के आधार पर वाद खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय को सीपीसी की पालना करते हुए जवाबदावा लेकर काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम बडा खेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की खसरा नम्बर 980 रकबा 1.85 हैक्टर कृषि भूमि वादी अपीलान्ट एवं वादी रेस्पोडेन्ट कम 05 लेखराज सिंह के शामलाती खाते की है । रेस्पोडेन्ट कम 01 का इस आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है वह अनाधिकृत रूप से इस आराजी पर निर्माण कार्य करने को तत्पर है । वादी अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट कम 05 ने रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 04 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा था । प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट कम 02 लगायत 04 उक्त प्रकरण में औपचारिक पक्षकार हैं उनके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 109 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 02 से 4 को नोटिस नहीं देने के आधार पर दावा वादी अपीलान्ट खारिज कर दिया । रेस्पोडेन्ट कम 1 को धारा 109 राजस्थान पचांयती राज अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस बाबत् आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । दावा प्रस्तुत करने से पूर्व नोटिस नहीं देने का एतराज करने का अधिकार ग्राम पचांयत व उसके अधिकारी एवं सम्बन्धित संस्था को प्राप्त है अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय को सीपीसी की पालना करते हुए जवाबदावा लेकर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि– विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (4) (राज0) पेज 1473 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत के सचिव एंव सरपंच को पक्षकार बनाया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं । ग्राम पंचायत को यदि पक्षकार बनाया जाता है तो ग्राम पंचायत को धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत 02 माह पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है और नोटिस के अभाव में वादी का दावा चलने योग्य नहीं है । रेस्पोडेन्ट को भी इस बाबत् आपत्ति करने का पूर्ण अधिकार है और न्यायालय स्वयं भी इस आधार पर दावा खारिज करने में सक्षम है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से नोटिस के अभाव में दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.09.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 1998 (राज0) पेज 221, आरएलडब्ल्यू 2013 (2) पेज 1133, डीएनजे 2004 (2) पेज 723 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी का दावा कायमी तनकीयात में लम्बित था । वाद में एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा पेश किया कि धारा 109 राजस्थान ग्राम

पंचायत अधिनियम के नोटिस के अभाव में दावा मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है । यहा यह उल्लेखनीय है कि धारा 109 के तहत नोटिस की आपत्ति प्रतिवादी क्रम 02 और 03 ही कर सकते हैं जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा डीएनजे 2016 (4) पेज 1473 में प्रतिपादित किया है । साथ ही यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि तर्क के लिए यह मान लिया जावे कि धारा 109 राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत नोटिस के अभाव में दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है तो भी यह दावा प्रतिवादी क्रम 02 और 03 के खिलाफ मेन्टेनेबल नहीं होगा परन्तु प्रतिवादी क्रम 01 के खिलाफ मेन्टेनेबल होगा ।

12. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जो नजीर डीएनजे 2016 (4) पेज 1473 उद्धरत की है उसमें ग्राम पंचायत के द्वारा धारा 109 के नोटिस पर आपत्ति की गई । इसी तरह से आरएलडब्ल्यू 2013 पेज 1133 में भी रिलीफ ग्राम पंचायत के खिलाफ मांगी गई थी और सरपंच ग्राम पंचायत की आपत्ति पर आदेश 07 नियम 11 में दावा खारिज किया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा